


30/01/17

पञ्जावली पेश डई। वादी का मूल वाद अदम्य पत्नी  
अदम्य हाजरी में खारिज हो चुका है अतः अदम्य पत्नी  
पार्थना पत्र का भाग चयन का कोई प्रोचिद्य  
नहीं है। पार्थी का पार्थना पत्र खारिज किया जाता है।  
पञ्जावली नम्बर से कम है समान मूल वाद है।

  
रूप खण्ड अधिकारी  
अदम्य (अवतर)